MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक 27(43) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/विविध/2016–17 जयपुर, दि.08 दिसम्बर, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र)
समस्त (राजस्थान)।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वरीयता सूची का जन साधारण को उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

सन्दर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 23.11.2016 एवं 06.12.2016.

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को विधिवत शुभारंभ किया गया है। प्रासांगिक पत्रों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आवासहीन, शून्य कमरा, एक कमरा कच्चा आवास व दो कमरा कच्चा आवास वाले परिवारों की वरीयता सूची का दिनांक 28.11.2016 को आयोजित ग्राम सभा में अनुमोदन कराकर अपीलेट कमेटी द्वारा दिनांक 12.12.2016 तक आमजन/लाभार्थियों से अनुमोदित वरीयता सूची पर आपत्तियां प्राप्त कर दिनांक 16.12.2016 तक अंतिम वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में निर्देशानुसार दिनांक 12.12.2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाने से अब संशोधित दिनांक 13.12.2016 तक आपत्तियां प्राप्त कर, जिला अपीलेट कमेटी से प्राप्त आपत्तियां के निस्तारण उपरान्त, दिनांक 16.12.2016 तक अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन कर योजना की वेब–साईट www.iay.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि अधिकांश ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों द्वारा ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित वरीयता सूची को सार्वजनिक स्थल, कार्यालय ग्राम पंचायतों पर जन साधारण हेतु अभी तक चस्पा/उपलब्ध नहीं कराई है। इस क्रम में शासन को विभिन्न स्तरों से निरन्तर शिकायते प्राप्त हो रही है, जो कि खेदजनक है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि ग्राम सभाओं में अनुमोदित वरीयता सूची की प्रति सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय पर उपलब्ध कराने के साथ–साथ ग्राम पंचायतवार संकलित सूची पंचायत समिति कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय,

(के. के. शर्मा) 08/12
अधीक्षण अभियंता ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।
6. प्रभारी अधिकारी (आवास), जिला परिषद् समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)